न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान प्रमेश्वरी देवी आदि बनाम राजस्थान सरकार
दावा–पत्र संख्या – 105 / 2025
निर्णय दिनांक 10/06/2025

1. प्रमेश्वरी देवी पत्नी बेगराज जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. मनीराम पुत्र बेगराज जाति ब्राह्मण निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–प्रतिवादी

दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1381 खसरा सं. 2015/52 तादादी 4.3878 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। वादीगण का कथन है कि उक्त खसराजात की जमाबंदी में संवत 2075 से 2078 रोही साहवा तहसील तारानगर में वादीगण का नाम प्रमेश्वरी देवी पत्नी बेगराज, मनीराम पुत्र बेगराज की जगह प्रमेश्वरी पत्नी बेगाराम व मनीराम पुत्र बेगाराम गलत दर्ज हो गया जबकि वादीगण का सभी दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र (बेगराज), आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड व जनआधार में सही नाम प्रमेश्वरी देवी पत्नी बेगराज, मनीराम पुत्र बेगराज है। वादीगण का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व अन्य कार्यो में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादीगण जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहते है। इसलिए वाद–पत्र पेश कर रहा है कि कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1381 खसरा सं. 2015/52 तादादी 4.3878 हैक्ट. में वादीगण का नाम प्रमेश्वरी देवी पत्नी बेगराज, मनीराम पुत्र बेगराज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादीगण का नाम प्रमेश्वरी पत्नी बेगाराम व मनीराम पुत्र बेगाराम व प्रमेश्वरी देवी पत्नी बेगराज, मनीराम पुत्र बेगराज दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र व जनआधार में वादीगण का नाम प्रमेश्वरी देवी पत्नी बेगराज, मनीराम पुत्र बेगराज पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम प्रमेश्वरी पत्नी बेगाराम व मनीराम पुत्र बेगाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा साहवा पटवार हल्का साहवा तहसील तारानगर के खाता संख्या 1381 खसरा सं. 2015/52 तादादी 4.3878 हैक्ट के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीनी का नाम **प्रमेश्वरी पत्नी बेगाराम व मनीराम पुत्र बेगाराम Delete** कर इसके स्थान पर **प्रमेश्वरी देवी पत्नी बेगराज, मनीराम पुत्र बेगराज** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/06/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)